भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. SM/4/2015/MHRD4/SEOTH/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट ,नई दिल्ली -110003
6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: 15.07.2016

To,

The Commissioner,
Kendriya Vidyalaya Sangathan,
18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi - 110016

Sub: Representation dated 05.12.2015 of Smt. Sapana Meena, Jodhpur, Music Teacher, K.V.I (AES) Q-4 (Rajasthan) regarding harassment.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Chairperson, NCST, on 14.06.2016 for necessary action and to send the action taken report to the Commission urgently.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director(Admn.)

Copy to:

Smt. Sapana Meena,
(Music Teacher) Q-4,
K.V.I (AES), Near
Pologround, Ratanada, Jodhpur,
Rajasthan-342011

सं. SM/4/2015/MHRD4/SEOTH/RU-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्रीमती सपना मीना (संगीत शिक्षिका) विद्यालय प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–1, वायु सेना, जोधपुर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत पर आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उरांव के समक्ष दिनांक 14.06.2016 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि– 14.06.2016

बैठक में उपस्थित– परिशिष्ट–क

श्रीमती सपना मीना (संगीत शिक्षिका) ने दिनांक 05.12.2015 को आयोग में शिकायत की, कि विद्यालय प्रशासन ने उन पर झूठा आरोप लगा कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं उनका वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है। संगीत शिक्षिका की शिकायत पर आयोग ने दिनांक 14.01.2016 को आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को नोटिस जारी कर मामले में तथ्य/टिप्पण मांगे। तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 14.06.2016 को आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आयोग के समक्ष सभी दस्तावेजों सहित चर्चा के लिए बुलाया।

आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अध्यक्ष महोदय के समक्ष दिनांक 14.06.2016 को उपस्थित हुए और अवगत कराया कि उन्होंने श्रीमती मीना के मामले को देखा तथा पाया कि जिस विद्यार्थी विशेष को लेकर जांच की गई है उसे श्रीमती मीना ने नहीं मारा एवं जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाए गए। जांच रिपोर्ट में सामान्य टिप्पणी के आधार पर उन्हें दंडित किया गया। अतः श्रीमती मीना पर जो दण्ड निर्धारित किया गया है वह सही नहीं है तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन, श्रीमती मीना को दण्ड मुक्त करने की कार्यवाही कर आयोग को सूचित करेगा।

श्रीमती मीना ने अनुरोध किया कि वह और उनके पति पिछले सात सालों से पीड़ित एवं प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि उनके पति केन्द्रीय विद्यालय संगठन शोलापुर (महाराष्ट्र) में

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पदस्थापित है तथा दोनों का स्थानान्तरण गंगटोक किया जाए जिसका उन्होंने अभ्यावेदन केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दिया है। आयोग द्वारा आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सलाह दी गई कि केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार पति–पत्नी दोनों को मध्यनजर रखते हुए श्रीमती मीना को जोधपुर से तथा उनके पति श्री जे.आर. मीना को शोलापुर (महाराष्ट्र) से गंगटोक स्थानान्तरण करने पर कार्यवाही करें। आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने आश्वासन दिया कि वह स्थानान्तरण के मामले को दिखवा कर जल्द कार्यवाही करेंगे।

आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आयोग द्वारा यह भी सलाह दी गई कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन, के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा उन्हें संविधान में दिए गए संरक्षणों से अवगत करवाएं ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति विद्यालयों में न हो।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

सं. SM/4/2015/MHRD4/SEOTH/RU-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	डा0 रामेश्वर उरांव,	अध्यक्ष
2.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर	निदेशक
3.	श्री वी.पी साही	सहायक निदेशक
अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन		
1.	श्री सन्तोष कुमार मल	आयुक्त
अभ्यावेदक		
1	श्रीमती सपना मीना	